

प्रपत्र 4
(विशेष विनियम 6)
राज्य सरकार की ओर से अनामति प्रमाण पत्र
संख्या- 3393/88-आयुष-1-2020-148/2020
उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-1
भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष

दिनांक 10, दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अध्यक्ष,
कुंवर दास वेलफेयर ट्रस्ट,
विशेषपुर, पोस्ट सीतला चौकियां परगना इमेली, लहसील सदर
जिला जौनपुर, 20080।

विषय: 300 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज नवनसम्पद, गौराबादशाहपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में सी0ए0एन0एन0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 60 सीट पर अनामति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित निर्देशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं नूतनीकरण), उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र क्रमांक दिनांक 13.10.2020।

महोदय,

निम्न तथ्यों के संबंध में उचित "अनामति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:-

1	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 59 आयुर्वेदिक कालेज
2	उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष चलाने वाले चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सक/चिकित्सिकाओं की संख्या	400 राजकीय एवं 4880 निजी क्षेत्र (स्नातक स्तर)
3	राज्य चरित्र/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक/चिकित्सिकाओं की संख्या	39,289
4	राज्य सरकार में सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक/चिकित्सिकाओं की संख्या	3000 समिदा लगभग 1000
5	राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/अर्धनगरीय क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के शिक्षा चरकारी पदों की संख्या	चिकित्सक/चिकित्सिका (आयुर्वेद) 250 चिकित्सक/चिकित्सिका (आयुर्वेद) 802
6	राज्य राजस्व विभाग में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के चरित्र/चरित्र आयुर्वेदिक चिकित्सक राजस्व विभाग में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात	1 : 5858
8	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/उद्देश्य समझ में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किन्तु प्रकृत से हटा होनी तथा राज्य में चिकित्सक कर्मियों की उपलब्धता में किन्तु प्रकार से सुधार आना।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/ स्नातक (सी0ए0एन0एन0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोत्तम व्यक्तियों (गैरों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9	जहाँ जहाँ राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश करने की प्रशिक्षण अभिरूपा, यदि कोई है, का चालाक करने।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर उद्देश्य शासन के निर्देशानुसार होता है।
10	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय चालने/उद्देश्य समझ में आने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण अधिष्ठाता।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।
11	अथवा आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।



अध्यक्ष, कुंवर दास वेलफेयर ट्रस्ट, विशेषपुर, पोस्ट सीतला चौकियां परगना इमेली, लहसील सदर जिला जौनपुर द्वारा 300 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज नवनसम्पद, गौराबादशाहपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक अध्यक्ष, कुंवर दास वेलफेयर ट्रस्ट, विशेषपुर, पोस्ट सीतला चौकियां परगना इमेली, लहसील सदर जिला जौनपुर को 60 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनामति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी कक्षा निर्माण विधि से 60 वर्ष तक होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) आवेदक के पास 60 सैख्यकों वाला अस्पताल है।
- (ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर सी0ए0एन0एन0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।
- (ग) अध्यक्ष, कुंवर दास वेलफेयर ट्रस्ट, विशेषपुर, पोस्ट सीतला चौकियां परगना इमेली, लहसील सदर जिला जौनपुर द्वारा 300 शकुन्तला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज नवनसम्पद, गौराबादशाहपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर सी0ए0एन0एन0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है एवं उक्त अनामति प्रमाण पत्र (प्रपत्र-4 पर) इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाये कि उक्त संस्था सी0सी0आई0एन0 के मानकानुसार लम्बा संस्करणों एवं भूमे की कमी सी0सी0आई0एन0 के निर्देशक के पूर्ण पूर्ति कर लें।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध करने में असमर्थ रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रशिक्षित छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भारतीय

(सचिव कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, सी0सी0आई0एन0, 81-85, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, सी0-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, आयुष मंत्रालय, सी0-ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी0पी0ओ0 फाम्लेस, आई0एन0 नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 20080, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, पीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- 5- निर्देशक, आयुर्वेद सेवाएँ, 20080 लखनऊ।
- 6- निर्देशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं नूतनीकरण), 20080 लखनऊ।
- 7- शर्त फाइल।

आज्ञा से,
(तज्जेन्द्र प्रसाद यादव)
अनु सचिव।